

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 22.07.2021

पशु चोरी की योजना बनाते पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त 20,000 रुपये के एक पुरस्कार घोषित अपराधी सहित 04 अभियुक्त चोरी करने के उपकरण, 02 बाइक, 2500 रुपये की नकदी एवं अवैध असलहा कारतूस सहित थाना अरनिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खुर्जा श्री सुरेश कुमार के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 21.07.2021 की रात्रि में व0उ0नि0 अरनिया श्री कामेश कुमार मय पुलिस फोर्स के क्षेत्र में तलाश वांछित व संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि 4-5 व्यक्ति रोहिन्दा कट के पास अरूण अशोक के आम अमरूद के बाग में पशु चोरी की योजना बना रहे हैं जिनके पास नाजायज असलहे भी हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान आम के बाग में पहुँचे तथा छिपकर देखा कि कुछ व्यक्ति पशु चोरी की योजना बना रहे थे। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की घेराबन्दी की गई जिस पर अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुए भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर मौके से 20,000 रुपये के एक पुरस्कार घोषित अपराधी सहित चारों अभियुक्तों को रात्रि समय करीब 21.30 बजे 02 मोटर साईकिल, नकदी, चोरी करने के उपकरण व अवैध असलहा, कारतूस आदि सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. जीते उर्फ जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र राजेन्द्र उर्फ सुल्ला निवासी ग्राम कन्होई थाना गभाना जनपद अलीगढ़।
2. अक्षय सिंह पुत्र कुशलपाल सिंह निवासी ग्राम रामनगर थाना शिकारपुर बुलन्दशहर।
3. गौरव पुत्र चरनसिंह निवासी राउपुर तलाह थाना खुर्जा देहात बुलन्दशहर।
4. तरूण गिरि पुत्र सतीश गिरि निवासी दरियापुर थाना जवां जनपद अलीगढ़।

बरामदगी -

- 1- एक मोटर साईकिल स्पलैण्डर नं0 यूपी-13एडब्ल्यू-5392
- 2- एक मोटर साईकिल पैशन प्रो नं0 डीएल-5एसएस-0196
- 3- 2500 रुपये की नकदी
- 4- 01 तमंचा 12 बोर मय एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस, 02 चाकू
- 5- एक लोहे का सरिया

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त जीते उर्फ जीतू उर्फ जितेन्द्र द्वारा दिनांक 02.07.2021 की रात्रि में अपने भाई के साथ मिलकर थाना अरनिया क्षेत्र के ग्राम मुनि की नगलिया से एक भैंस चोरी की घटना की गई थी जिसके संबंध में थाना अरनिया पर मुअसं-238/21 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्त द्वारा उक्त चोरी की भैंस को बेच दिया गया था उन्हीं रूपों में से 2,500 रुपये बरामद हुए हैं। इस अभियोग में अभियुक्त जीते उर्फ जीतू उर्फ जितेन्द्र वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा पर 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त जीते उर्फ जीतू उर्फ जितेन्द्र शातिर किस्म का अपराधी/पशु चोर है जो पूर्व में भी पशु चोरी आदि सहित कई मामलों में जेल जा चुका है जिसके विरुद्ध विभिन्न थानों/जनपदों पर पशु चोरी, नकबजनी, गैंगस्टर आदि अपराधों के निम्न अभियोग पंजीकृत हैं-

अभियुक्त जीते उर्फ जीतू उर्फ जितेन्द्र का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं-666/17 धारा 379 भादवि थाना गभाना अलीगढ़।
- 2- मुअसं-688/17 धारा 41/102 द0प्र0सं0 व 411 भादवि थाना गभाना अलीगढ़।
- 3- मुअसं-1150/17 धारा 457,380,411 भादवि थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।
- 4- मुअसं-24/19 धारा 379 भादवि थाना पहासू बुलन्दशहर।
- 5- मुअसं-02/20 धारा 379 भादवि थाना पहासू जनपद बुलंदशहर।
- 6- मुअसं-26/20 धारा 457,380 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

- 7- मुअसं-26/20 धारा 380 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
- 8- मुअसं-37/20 धारा 457,380,411 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
- 9- मुअसं-40/20 धारा 379,411 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
- 10- मुअसं-63/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
- 11- मुअसं-85/20 धारा 379 भादवि थाना अनूपशहर जनपद बुलंदशहर।
- 12- मुअसं-141/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
- 13- मुअसं-238/21 धारा 379/411 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
- 14- मुअसं-259/21 धारा 307/401 भादवि(पुलिस मुठभेड़) व 41/102 द०प्र०सं० थाना अरनिया बुलन्दशहर।
- 15- मुअसं-260/21 धारा 420 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
- 16- मुअसं-261/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त अक्षय सिंह का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं-259/21 धारा 307/401 भादवि(पुलिस मुठभेड़) व 41/102 द०प्र०सं० थाना अरनिया बुलन्दशहर।
- 2- मुअसं-262/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त गौरव का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं-259/21 धारा 307/401 भादवि(पुलिस मुठभेड़) व 41/102 द०प्र०सं० थाना अरनिया बुलन्दशहर।
- 2- मुअसं-263/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त तरुण गिरि का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं-259/21 धारा 307/401 भादवि(पुलिस मुठभेड़) व 41/102 द०प्र०सं० थाना अरनिया बुलन्दशहर।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अरनिया पर मुअसं-259/21 धारा 307/401 भादवि(पुलिस मुठभेड़) व 41/102 द०प्र०सं०, मुअसं-260/21 धारा 420 भादवि, मुअसं-261/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि० व मुअसं-262,263/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम:-

1. व०उ०नि० कामेश कुमार थाना अरनिया
2. उ०नि० रामेश्वर दयाल शर्मा थाना अरनिया
3. उ०नि० विजय कुमार राठी थाना अरनिया
4. का० रवि कुमार, का० यतेन्द्र, का० कपिलकान्त थाना अरनिया